



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## सार्वजनिक सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-213

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 294124 दिनांक 25/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Layout Plan Approval जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kaushalya Aswani S/o N P ASWANI	श्रीमती कौशल्या आसवानी पत्नी श्री एन.पी. आसवानी	Khasano no-401/10	0.000012 hectare	Private	EKAL_PATT A_SANGAN ER_MOHAN PURA_ZON E08	Layout Plan Approval	आवेदिका श्रीमती कौशल्या आसवानी पत्नी श्री एन.पी. आसवानी द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 401/10 क्षेत्रफल 1200 व0मी0 का वाणिज्य प्रयोजनार्थ मानचित्र जारी किये जाने आवेदन किया गया है। ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 401/10 कुल क्षेत्रफल 1200 व0मी0 भूमि की 90ए आदेश दिनांक 30.12.2022 को वाणिज्य प्रयोजनार्थ श्रीमती कौशल्या आसवानी पत्नी श्री एन.पी. आसवानी के हक में जारी किये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण में भूमि की 90ए की कार्यवाही एक वर्ष से ज्यादा व्यतीत होने के कारण प्रकरण में विज्ञप्ति जारी की जा रही है।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Layout Plan Approval जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kaushalya Aswani S/o N P ASWANI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |